**उत्तर प्रदेश शासन**

**वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1**

**संख्या-01 / 2019-वे0आ0-1-241 / दस-2019-6(एम) / 2016**

**लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2019**

इस अनुभाग के पत्र संख्या-8 / 2018 / वे0आ0-1-895 / दस-2018-6(एम) / 2016, दिनांक 17 सितम्बर, 2018 के क्रम में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1 / 1 / 2019-ई-।।(बी) दिनांक 27 फरवरी, 2019 (अग्रेजी एवं हिन्दी प्रति) की प्रति निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञापन की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2019 से महंगाई भत्ता वियमान दर 09 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

**संजीव मित्तल,**
**अपर मुख्य सचिव।**

**संख्या-01 / 2019-वे0आ0-1-241(1) / दस-2019, तदद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
3- प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

**आज्ञा से,**
**सरयू प्रसाद मिश्र,**
**विशेष सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

No. 1/1/2019-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

North Block, New Delhi
Dated the 27th February, 2019.

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Grant of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2019.**

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1/2/2018-E-II (B) dated 7th September, 2018 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of **9% to 12%** of the basic pay with effect from **1st January, 2019**.

2. The term `basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. The payment of arrears of Dearness Allowance (from January to March) shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2019.

6. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

7. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

**(Nirmala Dev)**
**Deputy Secretary to the Government of India**

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

सं. 1/2/2019-ई.II(बी)

**भारत सरकार**

**वित्त मंत्रालय**

**व्यय विभाग**

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

27 फरवरी, 2019

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना - 01.01.2019 से प्रभावी संशोधित दरें।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 07 सितम्बर, 2018 के का.ज्ञा.सं.1/2/2018-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता **01 जनवरी, 2019** से मूल वेतन के **9%** की विद्यमान दर से बढ़ाकर **12%** कर दिया जाएगा।

2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।

5. महंगाई भत्ते की बकाया राशि (जनवरी से मार्च) का भुगतान मार्च, 2019 के वेतन के संवितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।

6. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविलियन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

7. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए गए हैं।

निर्मला देव

**(निर्मला देव)**

**उप सचिव, भारत सरकार**

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।